1.6 A

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– सपुरा–चनुली–कोट–बासोट मोटर मार्ग पीपलगाँव बैण्ड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चनुली
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे0 आरक्षित वन भूमि, —×— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.250 हे0, वन पंचायत भूमि 0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चनुली द्वारा दिनांक 8-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0खं0 लो0नि0वि0 रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि0ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान
ग्राम सभा–बासोट
वि0 ख0 भिकियासैंण
जिला–अल्मोड़ा, उत्तरांचल

1.6 B

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/11/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चनुली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कीरराम पुरराम?	[illegible]
2	राजेन्द्र सिंह रतन सिंह	[illegible]
3	जगदीश सिंह दीवान सिंह	[illegible]
4	पान सिंह पु० [illegible] सिंह	पानसिंह
5	देव सिंह पु० गोविन्द सिंह	[illegible]
6	देवेन्द्र सिंह पु० दीवान सिंह	देवेन्द्र सिंह
7	किसनराम पु० [illegible]राम	किशनराम?
8	श्याम सिंह पु० सुजान सिंह	श्याम सिंह
9	शांति देवी पत्नी [illegible] सिंह	[illegible] देवी
10	मीना देवी पत्नी कालम सिंह?	मीना देवी
11	[illegible] सिंह पु० उदय सिंह?	[illegible]
12	नरीराम? पु० [illegible]राम	नरीराम?
13	नन्दराम? पु० [illegible]राम	[illegible]
14	प्रेमा देवी? पत्नी [illegible]	प्रेमा देवी?
15	आनन्दी देवी पत्नी आनन्द सिंह?	आनन्दी देवी?
16	पुष्पा देवी पत्नी [illegible]	पुष्पा देवी
17		
18	कान्ती देवी पत्नी [illegible]	कान्ती देवी
19	कालम सिंह पु० हरक सिंह?	कालम सिंह
20	नन्दन सिंह? पु० [illegible] सिंह	[illegible] सिंह

(21) श्री दीवान सिंह पु० [illegible] सिंह = दीवानसिंह

(22) देवकी देवी पत्नी दीवान सिंह = देवकी देवी

(23) मोहनी देवी पत्नी [illegible] सिंह = मोहनी देवी

कान्ती देवी पत्नी [illegible] = [illegible]

कालम सिंह पु० [illegible] सिंह = [illegible]

[illegible] सिंह पु० [illegible] सिंह = [illegible] सिंह

भागवती देवी पत्नी लछीराम = [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान
देवेन्द्र सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोड़ा)

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - बासोट मो० मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरपटा / चनुली

तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्ताराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरपटा - चनुली - कोटा - बासोट परियोजना के निर्माण हेतु (........ × हे0 आरक्षित वन भूमि × हे0 सिविल सोयम भूमि 0.250 हे0 वन पंचायत भूमि 0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरपटा / चनुली द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रानवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरपटा / चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

देवेन्द्र सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड भिक्यासैण

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत सरपटा

Conv of Ram Singh

प्रारुप –23.1

दिनांक 11-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सरपटा/-चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुवरसिंह	श्री कुवरसिंह
2-	दुर्गादेवी	श्रीमती दुर्गादेवी
3.	शिवसिंह	श्री शिवसिंह
4-	कृपालसिंह	" कृपालसिंह
5.	दिवानसिंह	" दिवानसिंह
6	देवगिरी	" देवगिरी

7 [illegible]

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत–चनुली
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद-अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोश्च बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है०)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुनोली
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X .... है0 आरक्षित वन भूमि X है0 सिविल सोयम भूमि 0.250 है0 वन पंचायत भूमि 0.287 है0) अर्थात कुल 0.537 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुनोली द्वारा दिनांक 4-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के पाविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा०रवा० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत डुनोली
वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोडा)

Copy of Hari Singh.doc-51

प्रारुप –23.1

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
	किशनानंद	किशनानंद
	प्रयाग सिंह	प्रयाग सिंह
	दामोदर	दामोदर
	नन्दनगिरी	नन्दनगिरी
	मधुली देवी	अं० नि० मधुली देवी

ग्राम प्रधान /सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत इनोली
वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोडा)

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद-अल्मोड़ा में सरपरा-चनुली-कोटा बाखोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुनखाणा / इनोली

तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्ताराखण्ड़ में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X है0 आरक्षित वन भूमि X है0 सिविल सोयम भूमि 0.250 है0 वन पंचायत भूमि 0.287 है0) अर्थात कुल 0.537 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनखाणा द्वारा दिनांक 4-11-014 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के पाविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृर्षि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृर्षि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनखाणा / इनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा०ख० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विकास खण्ड भिकियासैंण

प्रधान
ग्राम पंचायत इनोली
वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप –23.1

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुणखोला / इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ को ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
2.	जमन सिंह	जमन सिंह
3.	मधुली देवी	(अंगूठे का निशान)
4.	बिमला देवी	बिमला देवी
5.	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह

ग्राम प्रधान / ~~सरपंच~~

(हस्ताक्षर)
प्रधान
ग्राम पंचायत इनोली
वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :- जनपद-अल्मोड़ा में सरपथ-चन्नुली-कोटा-बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौरे
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (x x हे0 आरक्षित वन भूमि x हे0 सिविल सोयम भूमि 0.250 हे0 वन पंचायत भूमि 0.287 हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय नें ग्राम पंचायत सौरे द्वारा दिनांक 12-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौरे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

प्रधान
ग्राम पचायत सौरे
वि0ख0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
विकास खण्ड भिकियासैण

सरपंच का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में सरपश – चनुली – कोटा – बासोट
मोटर मार्ग
—— कि.मी. .... नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02-11-014 को ग्राम पंचायत सोरे की बैठक आहूत की गयी, जिसमें सरपश – चनुली – कोटा – बासोट —— मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन पंचायत सोरे की भूमि व वृक्ष प्रभावित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र कर लिया जाय।

सदस्य

1. पुष्पा देवी
2. प्रतापसिंह
3. शान्ती देवी
4.
5. नि.अ. रुक्मणी देवी

खीमासिंह

सरपंच

Khem Singh

सरपंच
वन पंचायत सोरे
वि० ख० भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

प्रारुप –23.1

दिनांक 2-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ......सौरे......

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बागसिंह S/o इन्द्र सिंह	बागसिंह
2.	राजेसिंह S/o बच्चे सिंह	नि॰ अं॰ राजेसिंह
3.	राजेन्द्र राम S/o हरी राम	राजेन्द्र राम
4.	अम्बा देवी W/o चन्दनसिंह	अम्बादेवी
5.	रामसिंह S/o आनसिंह	राम सिंह
6.	देव सिंह S/o उत्तमसिंह	देवसिंह

चन्दनसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे
वि०ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच

Kheem Singh
सरपंच
ग्राम पंचायत सौरे
वि० ख० भिकियासैण (अल्मो...)

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद - अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - वासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.537 है0)

<u>वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम कोट गिवाई
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X हे0 आरक्षित वन भूमि 0.250 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.287 हे0 वन पंचायत भूमि ~~0.537~~ हे0) अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट गिवाई द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट गिवाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड भिकियासैंण

गंगादेवी
प्रधान
ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित
ग्राम पंचायत ...
पो0 - कोटागिवाई
वि0 ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

Copy of ... Singh ...

प्रारुप –23.1

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोट गिवाई

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रेवती देवी	रेवती देवी
2-	राधा देवी	राधा देवी
3-	लीला देवी	लीला देवी
4-	जीवन सिंह	जीवन सिंह

ग्राम प्रधान /सरपंच
[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत कोटगिवाई
वि0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

1.6C

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— सरपता-चनुली, कोरा-सलौनी, पीपलगाँव बैण्ड तक लिंक मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैण

जी. एस. बिष्ट
सदस्य जिला पंचायत
24 बिनोली मिक्यासैण
जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड भिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.537 हे0 वन भूमि) का प्रा0 खं0 लो0 नि0 वि0 रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैण) की दिनांक 3-11-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैण (अल्मोड़ा)

1— श्री एन. एस. नबियाल —उपजिलाधिकारी — भिकियासैण —अध्यक्ष
2— श्री वी. के. ०सिंह —उप प्रभागीय वनाधिकारी— रानीखेत —सदस्य
3— श्री कुं० एस० रावत —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— भिकियासैण —सदस्य / सचिव
4— श्री जोगासिंह —बी0डी0सी0 क्षेत्र — चौखुटिया —सदस्य

जोगासिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बासोट
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सरपता - चनुली - कोरा बासोट —परियोजना हेतु 0.537 हे0 वन भूमि सरपता - चनुली - कोरा बासोट मोटर मार्ग लो0 नि0 वि0 — प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 D

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~[illegible]~~ परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि 0.537 ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– [illegible]
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– [illegible]
जनपद अल्मोड़ा

23·3 1·6E

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग। (8.50 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग (8.50 किमी.)** के निर्माण हेतु 0.537 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
04/12/14

जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

1.69

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 04-12-2014..............at time................................at Almora. in which application claiming rights of .Basot, Chanuli.. area measuring .... hect. for the Construction of .Sarpata-Chanuli-Kota Basot motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

04.12.14

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा. Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

1.6. Ha

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.537 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

04.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

1:6 F

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.................................... **Dated:...............**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.537 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sarpata Chanuli Keta Basot motar Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chanuli village(s) in Bhikiyasain Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.537 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

04/12/2014

Tehsildar — तहसीलदार भिकियासैण

S.D.M. — उप जिलाधिकारी, भिकियासैण (अल्मोड़ा)

D.M. — जिला अधिकारी अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

105